128

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (सर्किट कोर्ट रीवा) म0प्र0

प्रकरण क्रमांक III/निगरानी/सतना/भू.रा./2017/1816

Rs. 30/-

शारदा प्रसाद तनय श्री जगदीश प्रसाद द्विवेदी उम्र 56 वर्ष पेशा प्रायवेट नौकरी निवासी ग्राम जरियारी थाना व तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ----- ------ निगराकार

बनाम

1--जगदीश प्रसाद तनय लल्ला प्रसाद द्विवेदी उम्र 75 वर्ष

2--गोकरण प्रसाद तनय लल्ला प्रसाद द्विवेदी उम्र 75 वर्ष

3--अशोक कुमार तनय लल्ला प्रसाद द्विवेदी उम्र 75 वर्ष

4--सुनील कुमार तनय लल्ला प्रसाद द्विवेदी उम्र 75 वर्ष सभी निवासी ग्राम जरियारी थाना मैहर देहात तहसील मैहर जिला सतना म0प्र0 ---- ---- गैर निगराकार गण

निगरानी नायब तहसीलार वृत्त नादन तह0 मैहर जिला सतना म0प्र0 के प्र0क0 31अ27/16--17 में पारित आदेश दि0--11--05--2017 के विरुद्ध निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959

अधि0 श्री शांती कुमार
सोनी द्वारा पेश 30.5.17

क्लर्क आफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार हैं :--

1-- यह कि गैर निगराकार क01 के व्दारा निगराकार एवं गैर निगराकार क0 2 व 3 के विरुद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 178/110 मप्र0भू0रा0सं0 1959 के तहत प्रस्तुत किया और मौजा जरियारी तहसील मैहर की आराजी नं0 64 रकवा 1.191 हे0 व नं0 162 रकवा 0.094 हे0 व नं0 1225/2 रकवा 0.015 हे0 व नं0 1270/1 रकवा 0.079 हे0 कुल किता 4 कुल रकवा 1.379 हे0 का बॅटवारा 1/5--1/5 में करने का आग्रह किया।

2-- यह कि गैर निगराकार क01 ने अपने आवेदन पत्र में यह आधार लिया कि उभयपक्षों के मध्य बॅटवारा नही हुआ है और उभयपक्ष संयुक्त परिवार के सदस्य है और प्रश्नाधीन आराजी संयुकत परिवार की सम्पत्ति है। निगराकार क01 व्दारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जबाव निगराकार ने दिया और अने जबाव में लेख किया कि उभयपक्ष सहखातेदार नही है इसलिये बॅटवारा नही किया जा सकता। मगर जबाव प्रस्तुत करते समय संयुक्त परिवार की अन्य स्थित सम्पत्ति का खुलाशा करने का रह गया तब निगराकार ने संशोधन के माध्यम से अपने जबाव में संयुक्त परिवार की सम्पत्ति का खुलाशा करने का आवेदन पत्र प्रस्तुत

शारदा प्रसाद द्विवेदी

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक ।।।/निग./सतना/भू.रा./2017/1816

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
11/8/17	यह निगरानी नायव तहसीलदार वृत्त नादन तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 31 अ–27/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–5–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसके व्दारा आवेदक का विचारण न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार प्रक्रिया संहिता आदेश 6 नियम 17 का आवेदन निरस्त किया गया है। 2/ आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि नायव तहसीलदार ने उभय पक्ष के साझे की भूमियों को बटवारे में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तुत आवेदन जानबूझकर अमान्य किया है इसलिये दोनों पक्षों को सुनकर एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों को देखकर निर्णय करने के लिये निगरानी सुनवाई में ली जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव नायव तहसीलदार वृत्त नादन तहसील मेहर जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 31 अ–27/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–5–17 के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक जिन भूमियों को विचाराधीन प्रकरण में बटवारे के लिये सम्मिलित कराना चाहता है वह भूमियां ग्राम कटनी एंव ग्राम मैहर की है जबकि नायव तहसीलदार का प्रभार क्षेत्र नादन वृत्त है यह सही है कि नायव तहसीलदार केवल अपने प्रभार क्षेत्र स्थित भूमियों के बटवारे पर ही विचार कर सकता है। जहां तक अन्य वृत्तों में स्थित भूमियों का प्रश्न है उन भूमियों से संबंधित क्षेत्रीय राजस्व अधिकारी के समक्ष बटवारा आवेदन देकर बटवारा कार्यवाही कराने हेतु	

आवेदक स्वतंत्र है जिसके कारण नायव तहसीलदार वृत्त नादन तहसील मेहर जिला सतना ने प्रकरण कमांक 31 अ–27/2016–17 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–5–17 हस्तक्षेप योग्य नहीं की है।

4/ निगरानी प्रकरण में अन्य तथ्य विचार–योग्य न होने से सारहीन है जिसके कारण इसी–स्तर निरस्त की जाती है।

सदस्य